संख्या:6/2017/1361/3/1/35-आ-2/2016-19

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
आजमगढ/गोण्डा/सहारनपुर,
एटा/इटावा/फतेहपुर

राज्य योजना आयोग-2 लखनऊः दिनांक 04 मई,2017
(नियोजन विभाग)

विषयः प्रदेश के छः जनपदों में क्षेत्रीय विकास में समाजिक निवेश कार्यक्रम (सियाड) योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-4/2017 (1180/17)35-आ-2/2016-19 दिनांक 20 अप्रैल,2017 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के अन्तर्गत 05 माह हेतु रू0 23,70,000/- (रूपये तेइस लाख सत्तर हजार मात्र) धनराशि संलग्न परिशिष्ट -क में उल्लिखित मदवार/जनपदवार फांट के अनुसार देय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 3/2017/वी-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 2 जनवरी, 2017 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

3. संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या- 40, लेखाशीर्ष- 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/ योजना वोर्ड-03-राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों आदि पर शासकीय कर्मचारियों की भांति सम्बन्धित कोषागार से वेतन देयक के आधार पर किया जायेगा तथा प्रत्येक माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण (टेजरी सीट सहित) पूर्व में प्रेषित रूप-पत्र पर आगामी माह की 10 तारीख तक शासन को प्रत्येक दशा में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी.एन. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:6/2017/1361/3/1/35-आ-2/2016-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (द्वितीय)एम.सी.(सी) अनुभाग-4 उ.प्र. इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी,गोण्डा, आजमगढ़, एटा, इटावा, फतेहपुर, सहारनपुर।
5. वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7. आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
8. सम्बन्धित जिलों के संख्याधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रोषित कि वह यह सुनिश्चित करें कि व्यय- विवरण निर्धारित तिथि तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
9. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी, लेखा नियोजन सचिव शाखा।
11. नियोजन अनुभाग-1
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:6/2017/1361/3/1/35-आ-2/2016-19, दिनांक: 04 मई, 2017 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के अन्तर्गत 05 माह हेतु आवंटित धनराशि का विवरण लेखाशीर्ष- 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें- 101-योजना आयोग/ योजना वोर्ड-03-राज्य योजना आयोग

अनुदान संख्या- 40

(धनराशि लाख रू. में)

मद सं.	मानक मद	आजमगढ़	एटा	इटावा	फतेहपुर	गोण्डा	सहारनपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	वेतन	4.00	3.10	2.40	4.50	4.25	2.60	20.85
03	मंगहाई भत्ता	0.40	0.31	0.24	0.45	0.45	0.26	2.11
06	अन्य भत्ते	0.20	0.12	0.06	0.12	0.12	0.12	0.74
	योग-	4.60	3.53	2.70	5.07	4.82	2.98	23.70

(रूपये तेइस लाख सत्तर हजार मात्र)

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।